



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221275
CG-DL-E-21082020-221275

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2520]
No. 2520

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

का.आ. 2844(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 अगस्त, 2020 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	धारा
1.	धारा 12;
2.	धारा 17 से धारा 26 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं);
3.	धारा 28;
4.	धारा 31;
5.	धारा 32।

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

S.O. 2844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby appoints the 21st of August, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

S. No.	Sections
2.	Section 12;
3.	Section 17 to 26 (both inclusive);
4.	Section 28;
5.	Section 31;
6.	Section 32.

[F. No. 3/7/2020-EM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.